

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं० हक), बिहार,
वीर चंद पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक

विषय - Technical Education Quality Improvement Programme Phase-II परियोजनान्तर्गत संविदा के आधार पर रखे गए दो प्रधान सलाहकारों को निर्धारित दर पर उनके कार्यावधि के बकाये पारिश्रमिक के भुगतानार्थ कुल रू. 16,63,334=00 (सोलह लाख तीरसठ हजार तीन सौ चौतीस रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में संबंधित को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

राज्य सरकार ने Technical Education Quality Improvement Programme Phase-II परियोजनान्तर्गत संविदा के आधार पर रखे गए दो प्रधान सलाहकारों को निर्धारित दर पर उनके कार्यावधि के बकाये पारिश्रमिक के भुगतानार्थ कुल रू. 16,63,334=00 (सोलह लाख तीरसठ हजार तीन सौ चौतीस रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में संबंधित को विमुक्त करने की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की है-

क्रम	प्रधान सलाहकारों का नाम	कार्य अवधि	कुल पारिश्रमिक (रूपये में)
1	श्री विजय कुमार	दिनांक 01.06.2016 से 31.07.2017	14,60,000=00
2	श्री अनिल अग्रवाल	दिनांक 01.06.2016 से 01.08.2016	2,03,334=00
		कुल	16,63,334=00

- उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2018-19 के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट के "मुख्यशीर्ष- 2203 -तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष -00, लघुशीर्ष-112 -इंजीनियरी/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या-43, उपशीर्ष-0001- स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम" के अधीन 28 02 संविदा सेवाएं विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड- 43-2203001120001 है।
- इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप निदेशक (त.) निदेशालय, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना होंगे।
- इस राशि की निकासी कोषागार, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना से की जायेगी तथा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।
- उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।
- यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 3758 वि., दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।
- वित्त विभाग के पत्रांक- 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./ -
(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - वि.प्रा. (II) य¹ -15/2010-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि.प्रा. (II) य¹ –15/2010–

/पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि.प्रा. (II) य¹ –15/2010–

/पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार –सह– राज्य परियोजना सलाहकार, State Project facilitation Unit (SPFU) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि.प्रा. (II) य¹ –15/2010–

/पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – श्री विजय कुमार/श्री अनिल अग्रवाल, तत्कालीन प्रधान सलाहकार State Project facilitation Unit (SPFU) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि.प्रा. (II) य¹ –15/2010–

2831

/पटना, दिनांक– 11-10-2018

प्रतिलिपि – विवरणी सहित माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/बजट सहायक/ आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / –
सरकार के उप सचिव

11/10/18

सचिव